1967		
	January	312.3
	February	324.1
	March	318.6
	April	
	1st	307.6
	8th	311.2
	15th	316.5
	22nd	316.0
	29th	319.4
	May	
	6th	318.4
	13th	316.1

Cut in Sugar Quota of Bihar

1515. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:
Shri Bishwanath Roy:
Shri Vasudevan Nair:
Shri C. Janardhanan:
Shri Hem Raj:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sugar quota of Bihar has been cut from 14,000 tonnes to 11,000 for the month of April, 1967;

(b) whether similar cuts have been effected in the quotas of other States also;

(c) whether the cuts have been restored in May, 1967 and are proposed to be restored in June 1967; and

(d) the State-wise figures for April, 1967 and the State-wise estimates for May and June, 1967?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Bihar's quota was reduced to 9,192 tonnes with effect from the 23rd May, 1967. Issues will be adjusted to suit the Bihar Government but no restoration is possible due to short production.

(d) A statement showing monthly quota of sugar of each State in April and May & June 1967 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-530/67].

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

1516. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री शारदा नन्द :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 की तुलना में वर्ष 1966-67 में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए; और

(ख) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 356 व्यक्ति मरे और 3162 घायल हुए । 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1966 तक इसकी तुलना में 317 व्यक्ति मरे और 3199 घायल हुए ।

(ख) दिल्ली में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्न कार्यवाही की गई है या की जा रही है :—

(1) दिसम्बर, 1962 से सड़क सुरक्षा शिक्षा के लिये एक सब-इंस्पेक्टर की अधीक्षता में अलग कर्मचारी रखे गये हैं ।

(2) चालकों तथा अन्य सड़क व्यवहार-कर्त्ताओं में सड़क सुरक्षा पर इश्तहार और रेखांकन बांटे गये हैं ।